

राजस्थान सरकार  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्र.एफ 5(अभि.)/सीटीएडी/कॉलेज कन्या छात्रावास निर्माण/17-18/ दि :

निदेशक,  
स्वच्छ परियोजना  
उदयपुर।

विषय : सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, जयपुर के संचालन हेतु फर्निचर व अन्य सामग्री क्रय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

महोदय,

शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में नवीन बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास महारानी कॉलेज परिसर जयपुर (क्षमता 100) में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, जयपुर के संचालन हेतु फर्निचर व अन्य सामग्री क्रय हेतु राशि रु. 20.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी निदेशक, स्वच्छ परियोजना उदयपुर को नियुक्त किया जाता है।

आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत राजस्व मद की उपलब्ध अनटाईड बचत राशि में से राशि रु. 20.00 लाख निदेशक, स्वच्छ परियोजना को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वच्छ परियोजना द्वारा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस, जयपुर के संचालन हेतु वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर फर्निचर व अन्य सामग्री (बेड, टेबल, चेयर, डायनिंग टेबल, गद्दे, तकिये, चद्दर, कम्बल, किचन सामग्री यथा थाली, गिलास, चम्मच, भोजन बनाने के बर्तन सामग्री आदि) क्रय करने की कार्यवाही निदेशक, स्वच्छ परियोजना द्वारा नियमानुसार की जायेगी।

**कार्य संपादन की शर्तें—**

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
2. कार्यदेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना व्यय नहीं किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।

- sd -  
(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S.  
आयुक्त

क्रमांक यथोपरि/ 2421-34  
प्रतिलिपि—

दिनांक : 29-1-2020

1. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जिला परिषद् जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.), जयपुर।
5. परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
6. परियोजना निदेशक, भवन-प्रथम एवं अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शहर जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद्, जयपुर।

8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत राजस्व मद की उपलब्ध अनटाईड बचत राशि में से राशि रु. 20.00 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करावे।
9. प्राचार्य, महारानी कॉलेज जयपुर।
10. वार्डन बहुउद्देशीय जनजाति कन्या छात्रावास, महारानी कॉलेज परिसर, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी माडा/मॉनिटरिंग (टाडा, माडा)/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
12. गार्ड फाईल।

  
( अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

---

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721  
ई-मेल : comm.tad @gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in